न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्याः 038/2025

1 चिडी देवी पत्नी स्व. हरचन्द पुत्र स्व. सदूराम उम्र 70 वर्ष जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 कालूराम पुत्र स्व. सदूराम उम्र 65 वर्ष जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रार्थीगण

बनाम्

1 भादरराम पुत्र स्व. सदूराम जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़

2 रामीदेवी पत्नी स्व. अर्जनराम पुत्र स्व. सदूराम जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़

3 गंगाराम पुत्र स्व. अर्जनराम पुत्र स्व. सदूराम जाति सांसी निवासी जोतराम वाली बस्ती, फरीदकोट तहसील व जिला फरीदकोट (पंजाब)

4 कश्मीरीलाल पुत्र स्व. अर्जनराम जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता

5 सोनू पुत्र स्व. अर्जनराम तहसील व जिला हनुमानगढ़

6 जसूराम पुत्र स्व. सहीराम जाति सांसी निवासी कमाना, डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़

7 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

-:अप्रार्थीगण

उपस्थितः-

1 श्री शकुन्तला भाटीवाल - अधिवक्ता प्रार्थीगण

2 श्री गुरप्रीतपाल सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 2

3 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 7

-:निर्णयः-

दिनांक :- 30/4/2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि यह कि स्व. सहीराम को भारत-पाकिस्तान विभाज[illegible]समय भारत पहुंचने पर कस्टोडियन विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गई थी [illegible] के वारिस जसूराम, सदूराम और पुत्री सुन्दरी बाल्यावस्था में थी। अलॉटमेंट के [illegible] सहीराम का देहा[illegible] गया था और उसके हक व हिस्सा की भूमि उसके जायज व क[illegible]ी वारिसान पत्नी स[illegible], जसूराम, सदूराम पुत्रगण व पुत्री सुन्दरी को विरासतन प्राप्त हुई थी। चूंकि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार की थी और सहीराम का प्रारंभिक अवस्था में ही देहान्त हो गया था इसलिए भूमि की खातेदारी सहीराम के वारिसान जसूराम वगैरह के नाम दर्ज हुई जो चक 18 एस. टी. जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 25/20 के प.नं. 68/299 (12) किला नं. 17, 18, 23, 24 की 1.012 हैक्टेयर, प.नं. 68/300 (13) किला नं. 2 ता 4, 8, 9, 12, 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

चक 1.771 हैक्टेयर कुल 2.783 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं चक 19 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 24/24 के प.नं. 65/302 (18) किला नं. 15, 16, 25 की 0.759, प.नं. 66/302 (19) के किला नं. 11, 19, 20, 21, 22 की 1.265 हैक्टेयर, प.नं. 66/303 (22) के किला नं. 1 ता 3, 8, 9 की 1.265 हैक्टेयर कुल 3.289 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता, दोनों चकों की कुल 6.072 हैक्टेयर स्व. सहीराम के वारिसान जस्सराम वगैरह के नाम से बहिस्सा बराबर जमाबन्दी सम्वत् 2055-58 अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। जमाबन्दीयां चक 18 व 19 एस.टी.जी. की सत्यप्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि स्व. सहीराम की पत्नी सरस्वती देवी का देहान्त हो गया और पुत्री सुन्दरी ने अपना हक व हिस्सा सदूराम के पक्ष में त्याग कर दिया। इसलिए कुल कृषि भूमि 6.072 हैक्टेयर में सदूराम का हिस्सा 2/3 हिस्सा व जस्सूराम का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अर्सा पूर्व सम्वत् 2055-58 की जमाबन्दी में दर्ज हो गया जो आज तक इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान में चक 18 एस.टी.जी. के खाता संख्या 117 / 39 एवं चक 19 एस. टी. जी. के खाता संख्या 126/42 में दर्ज अनुसार है। चक 18 व 19 एस. टी. जी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की सत्यप्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि सदूराम के जायज व कानूनी वारिसान अर्जन, हरचन्द, भादर व कालूराम है जिसमें से अर्जनराम व हरचन्द का देहांत हो गया है। अर्जन के जायज व कानूनी वारिसान पत्नी रामीदेवी, पुत्रगण गंगाराम व कश्मीरीलाल व सोनू है व हरचन्द के जायज व कानूनी वारिसान पत्नी चिड़ी देवी व पुत्रगण नानकराम व रतीराम है। चूंकि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि सदूराम के जायज व कानूनी वारिसान की पैतृक कृषि भूमि थी जिनका जन्म से ही स्व. सदूराम के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा उसके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में था अर्थात् कुल कृषि भूमि 4.048 हैक्टेयर में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अनुसार हक व हिस्सा था। स्व. सदूराम ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों ,को उनके हक व हिस्सा अनुसार प्रत्येक को 1/5 हिस्सा अनुसार भूमि बांट कर काश्त हेतु दे दी थी जो अर्सा करीब 30 पूर्व ही दे दी थी और प्रत्येक वारिसान का 1/5 हिस्सा अनुसार मौका पर कब्जा काश्त थी ।

यह कि स्व. सदूराम की निर्वसीयती मृत्यु दिनांक 11.8.2019 को हो चुकी है। सदूराम की पत्नी का भी उसके जीवनकाल में ही देहांत हो चुका था । सदूराम की मृत्यु के बाद उसके हक व हिस्सा की कुल कृषि भूमि 4.048 हैक्टेयर को सभी वारिसान ने 1/4 हिस्सा अनुसार मौका पर काश्त कर ली और सभी वारिसान संयुक्त रूप से विवादित कृषि भूमि को हक हिस्सा अनुसार ठेका पर काश्त करवाते हैं।

यह कि हरचन्द के हक व हिस्सा की कृषि भूमि 1/4 हिस्सानुसार प्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण सं. 8 व 9 संयुक्त रूप से काश्त करते हैं व अर्जनराम के हक व हिस्सा की कृषि भूमि 1/4 हिस्सा [illegible] व कानूनी वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 4 संयुक्त रूप से काश्त करते हैं। 1/4 हिस्सा भादर [illegible] व 1/4 हिस्सा प्रार्थी सं. 2 काश्त करते है। 1/4 हिस्सा अनुसार प्रत्येक [illegible] 012 हैक्टेयर कृषि भूमि विरासतन एवं पैतृक रूप से प्राप्त हुई है और इसी अनुसार प्रार्थी[illegible] जरिये घोषणात्मक आज्ञा राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक 1/4 हिस्सा अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि विवादित कृषि भूमि स्व. सदूराम के जायज व कानूनी वारिसान प्रत्येक की 1/4 हिस्सा अनुसार मौका पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थी सं. 7 की भी संयुक्त रूप से मौका पर कब्जा काश्त है। विधिवत् रूप से भूमि का खाला रास्ता अनुसार हिस्सा काटकर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

बटवारा नहीं किया गया है। सीवबट को लेकर काश्तकारान का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है इसलिए प्रार्थीगण भूमि का अच्छी-मंदी के हिसाब से हक व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण बदयान्तिपूर्वक प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि से उन्हें महरूम करने के लिए मौका पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और प्रार्थीगण के पैतृक हक व विरासतन हक को छुपाकर कुल कृषि भूमि दो हिस्सा में राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने पर आमादा है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 कमाना में ही रहते हैं और प्रार्थीगण अपने कार्य के लिए हरियाणा व पंजाब में घुमते रहते हैं । इसका फायदा उठाकर स्व. सदूराम के वारिसान की सूची में केवल मात्र अपना ही नाम दिखाकर भूमि दो हिस्सो में अपने नाम दर्ज करवाने हेतु प्रयासरत है और प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि जो कि प्रार्थीगण ने ठेका पर काश्त हेतु दे रखी है, ठेकेदार को डरा /धमकाकर उसके बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति से संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे चक 18 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 117/39 के प.नं. 68/299 (12) किला नं. 17, 18, 23, 24 की 1.012 हैक्टेयर, प.नं. 68/300 (13) किला नं. 2 ता 4, 8, 9, 12, 13 की 1.771 हैक्टेयर कुल 2.783 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता एवं चक 19 एस. टी. जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 126/42 के प.नं. 65/302 (18) किला नं. 15, 16, 25 की 0.759, प. नं. 66/302 (19) के किला नं. 11, 19, 20, 21, 22 की 1.265 हैक्टेयर, प.नं. 66/303 (22) के किला नं. 1 ता 3, 8, 9 की 1.265 हैक्टेयर कुल 3.289 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता, दोनों चकों की कुल 6.072 हैक्टेयर कृषि भूमि को किसी भी तरह से अपने नाम दर्ज करवाने एवं भूमि को रहन, बैय व अंतरित करने से व प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि 2.024 हैक्टेयर को खुर्दबुर्द करने, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर जबरन बेदखल करने एवं ठेकेदार को डरा धमकाकर उस पर कब्जा करने से निषिद्ध रहे।

17.02.20

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर से विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी श्री गुरप्रीतपाल सिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 1 असत्य होने से अस्वीकार है। दावा प्रार्थना-पत्र को गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है इसमें प्रार्थीगण को सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 2 झुठी, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने के कारण से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण ने दावाधीन आराजी को विरासतन बताया है जबकि दावा/प्रार्थना-पत्र में दर्ज समस्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता/ससुर स्व. सदूराम की स्वंय अर्जित भूमि है जिसके साक्ष्य लेटर प्रदर्श 1 है व गिफ्टडीड प्रदर्श 2 है।3

यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या [illegible] तथ्य झुठे व मनगढ़त होने के से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण ने दावाधीन आराजी 1/3 हिस्सा की स्व. सुन्दरी देवी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता/ससुर स्व. सदूराम के पक्ष में हक त्याग करना बताया है जबकि स्व. सुन्दरी देवी ने अपने समस्त 1/3 हिस्सा की दान यानि GIFT) अपने भाई स्व. सदूराम (प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता/ससुर) के पक्ष दिनांक 31.05.2010 को कर कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी डबली राठान से दानपत्र पंजीबद्ध करवाया है जो प्रदर्श 2 है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 4 गलत व झुठी अंकित होने के कारण से अस्वीकार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 5 विधि विरुद्ध मिथ्या अंकित होने के कारण से अस्वीकार है। इसमें स्व. सदूराम की मृत्यु निर्वसीयत होना बताया गया है जो कि सरासर गलत अंकित किया गया है स्व. सदूराम ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वंय अर्जित चक 18 व 19 एसटीजी की भूमि के समस्त 2/3 हिस्सा की वसीयत दिनांक 28.06.2019 को अपने पुत्र भादरराम व अपनी पुत्रवधु रामी के पक्ष में तहरीर करवा उपपंजीयक महोदय हनुमानगढ के दफ्तर से पंजीबद्ध करवाया है जिसकी फोटोप्रति संलग्न प्रार्थना-पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 झुठी होने के कारण से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 झुठे कथनों पर आधारित व मंगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 8 मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 9 झुठी व मनगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है। दस्तावेजी साक्ष्यों व परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 के पक्ष में है।

-अतिरिक्त कथन-

यह कि चक 18 व 19 एसटीजी की कुल 6.072 है कृषि भूमि में से स्व. सुन्दरी ने अपना 1/3 हिस्सा का दान अपने भाई स्व. सदूराम (प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता/ससुर) के पक्ष दिनांक 31.05.2010 को कर कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी डबली राठान से दानपत्र पंजीबद्ध करवाया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न जबाव प्रार्थना-पत्र प्रदर्श 2 है व उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा स्व. सदूराम को स्वंय को अलोटमेंट हुई है जो प्रदर्श 1 है। इसप्रकार दोनो चकों की कुल 6.072 है0 आराजी में स्व. सदूराम का 2/3 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 2 के पिता/ससुर स्व. सदूराम की स्वंय अर्जित भूमि चक 18 एसटीजी के खाता संख्या 117/39 प.न. 68/299 (12) व प.न. 68/300 कुल 2.7830 में से 2/3 हिस्सा व चक 19 एसटीजी के खाता संख्या 126/42 प.न. 65/302 मु.न. 18 प.न. 66/303 मु.न. 22 की कुल 3.2890 है0 में से 2/3 हिस्सा जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत स्व. सदूराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा में ब.हि.ब में करवा रखी है। व इसी कदर पूर्व से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पास उक्त दावाधीन भूमि कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण ने लालच से वंशीभूत होकर अप्रार्थीगण के अधिकारों का कुकाराघात करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध अनपढ़ व्यक्ति होने व अप्रार्थीगण संख्या 2 अनपढ़ विधवा औरत जात होने के कारण उन्हें तंग परेशान करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज है ।

यह कि प्रार्थीगण ने बिना किसी प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है उसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की कोई आशा नहीं है। प्रार्थना-पत्र/दावाधीन में दर्ज भूमि स्व सदूराम पुत्र सहीराम की स्वंय अर्जित भूमि है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

यह कि स्व. सदूराम ने अपनी उक्त स्वंय अर्जित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में करवा रखी है जिसका इंतकाल माननीय उपतहसीलदार डबली राठान यहा जैरकार है जिसे प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के इंतकाल को दर्ज होने से वंचित रखने व सभी तथ्यों से भली-भांति अवगत होने के बावजूद ही झुठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर दावा/प्रार्थना-पत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

में अनावश्यक पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

यह कि माननीय न्यायलय के द्वारा दिया गया स्थगन आदेश अगर खारिज नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिससे अप्रार्थीगण के पक्ष में पिता/ससुर द्वारा करवाई गई रजिस्टर्ड वसीयत का इंतकाल दर्ज नहीं करवा सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश पूर्णतरू खारिज किये जाने योग्य है। अगर स्थगन आदेश खारिज नहीं किया जाता है तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा व अप्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे इसलिए उक्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना-पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं अभिलिखित काश्तकार सदूराम के वारिसान है। वर्तमान में सदूराम को देहांत हो चुका है और सदूराम के नाम चक 18 एसटीजी के खाता सं. 117/39 व चक 19 एसटीजी के खाता सं. 126/42 में दर्ज आराजी को लेकर वारिसान के मध्य विवाद है। पत्रावली में सलंग्न पंजीकृत दान पत्र दिनांक 31.05.2010 बहक सदूराम के पक्ष सुन्दरी देवी द्वारा निष्पादित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त खातों में दर्ज आराजी में 2/3 हिस्सा स्वर्गवासी सदूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई, तत्पश्चात् पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा दिनांक 28.06.2019 की चित्रप्रति के अनुसार सदूराम ने अपनी उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम वसीयत की है जिसे प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां आक्षेपित किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न है। चूंकि विवादग्रस्त आराजी को लेकर [illegible] परिवार से सदस्यों के मध्य विवाद है और अप्रार्थीगण ने जिस वसीयत को आधार [illegible] वह सक्षम न्यायालय में आक्षेपित है। ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाती है तो वाद-बाहुलता बढ्ने की संभावना है। दुसरे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य 88, [illegible] का घोषणात्मक व विभाजनात्मक का दावा न्यायालय, हाजा में विचाराधीन है जिसमें हकों व हिस्सों का निर्धारण किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व. सदूराम अभिलिखित काश्तकार है। विवादाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है अतः यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय या अन्तरण करते है तो प्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी क्षतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नही की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत घोषिणात्मक/विभाजनात्मक विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरुप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्यावित‍ि आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश दिनांक 17.02.2025 बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि वे विवादाग्रस्त कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए उभयपक्ष ता-फैसला वाद, रहन, बैय व अन्तरण करने से निषिद्ध (Prohibited) रहे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested